(64)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : - तीन -दतिया/भू०रा०/2018/0093 विरूद्ध - आदेश दिनांक 13-11-2017 पारित व्दारा - अपर आयुक्त , ग्वालियर संभाग, ग्वालियर - प्रकरण क्रमांक 599/2012-13 अपील

गोपाल शर्मा पुत्र कमलेश शर्मा
निवासी ग्राम थरेट तहसील सेवढ़ा
जिला दतिया मध्य प्रदेश
——आवेदक

विरूद्ध

लखनलाल शर्मा पुत्र रघुवीरशरण शर्मा
निवासी ग्राम थरेट तहसील सेवढ़ा
जिला दतिया मध्य प्रदेश
——अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री लखन सिंह धाकड़)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)

आ दे श

(आज दिनांक 8 -2- 2019 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 599/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 13 नवम्बर, 2017 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, सेवढ़ा के समक्ष ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 43 पर आदेश दिनॉक 30-6-2006 के विरूद्ध अपील क्रमांक 64/2008-09 प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम थरेट स्थित भूमि सर्वे

कमांक 686 रकबा 1–254 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) रघुवीरशरण पुत्र दुर्गाप्रसाद के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है । रघुवीर शरण के पुत्र लखनलाल, कमलेश कुमार व पत्नि सियारानी वारिसान है। कमलेश कुमार का आवेदक पुत्र है। वादग्रस्त भूमि रघुवीर शरण एंव गोपाल पुत्र कमलेश के नाम से वर्ष 2007–08 में नामान्तरण पंजी कमांक 43 व आदेश दिनांक 30–6–06 से बटवारा अंकित हुआ है । रघुवीरशरण की भूमि में जब गोपाल शर्मा सहखातेदार अंकित नहीं था, तब पारिवारिक बटवारा कराने का पात्र नहीं है । इसलिये ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 43 पर आदेश दिनॉक 30–6–2006 को निरस्त किया जावे। अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा ने प्रकरण कमांक 64/2008–09 अपील पॅजीबद्व किया तथा पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 16–5–2013 पारित करके अपील बेरूम्याद मानकर निरस्त कर दी। अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा के इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 599/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 13 नवम्बर, 2017 से अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा का आदेश दिनांक 16–5–2013 एंव ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 43 पर आदेश दिनॉक 30–6–2006 से किया गया बटवारा निरस्त कर भूमि को शासकीय अभिलेख में बटवारे के पूर्व स्थिति में अंकित करने के आदेश दिये। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि वादग्रस्त भूमि को उसके बाबा (Grand father) ने 1/2 भाग अर्थात 0.627 आरे का अपनी इच्छा से स्वयं के नाती (Grand son) के हित में नामान्तरण पंजी पर दिनांक 30–6–06 से नामांत्रित कराई है शेष 0.627 आरे उसके वावा रघुवीरशरण के नाम बनी रही। रघुवीरशरण की मृत्यु दिनांक 8–5–2007 को होने के वाद उनके नाम की भूमि पर वारिसान के नाम समान भाग पर

विधिवत् नामान्तरण हुआ है जिस पर अनावेदक लखनलाल शर्मा के भी हस्ताक्षर है । रघुवीरशरण की मृत्यु के वाद आदेश दिनांक 15–8–07 से वारिसान के हुये नामान्तरण के कारण लखनलाल शर्मा को नामान्तरण पंजी पर हुई प्रविष्टि दिनांक 25–5–06 आदेश दिनांक 30–6–06 की जानकारी रही है इसके वाद भी जमीन हड़पने के उद्वेश्य से आदेश दिनांक 30–6–06 के विरूद्व गलत तथ्यों के आधार पर दिनांक 5–2–09 को अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा के समक्ष अपील की गई है जो सही कारणों से निरस्त की गई है। जब अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष अपील हुई, अपर आयुक्त ने उक्त तथ्यों को शोचे समझे बिना ही अपीलाधीन आदेश से अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा के आदेश दिनांक 16–5–2013 को एंव ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 43 पर आदेश दिनॉक 30–6–2006 को निरस्त करते हुये बटवारा निरस्त कर भूमि को शासकीय अभिलेख में बटवारे के पूर्व स्थिति कायम कराने में भूल की गई है। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की।

अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि ग्राम थरेट स्थित भूमि सर्वे कमांक 686 रकबा 1–254 हैक्टर उसके पिता के नाम से थी। उनके वारिसान लखनलाल, कमलेश कुमार व पत्नि सियारानी है कमलेश कुमार का आवेदक गोपाल शर्मा पुत्र है परन्तु आवेदक ने हलका पटवारी से मिलकर खसरे में प्रविष्टि कराई है एंव बटवारे की सूचना अनावेदक को नहीं दी है। मृतक पिता रघुवीरशरण की संपूर्ण 1–254 हैक्टर में उसका अन्य वारिसान की तरह समान हिस्सा है परन्तु अपर आयुक्त ने स्थिति के वाहर जाकर समान बटवारा न करते हुये आदेश पारित किया है इसलिये मृतक रघुवीरशरण के समस्त वारिसानों के नाम वादग्रस्त भूमि के नामंत्रण के आदेश दिये जॉय।

5/ दोनों पक्षों के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को के कम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा के प्र0क0 64/2008–09 अपील में पृष्ठ कमांक 20 पर तहसीलदार सेवढ़ा का पत्र कमांक क्यू/प्रतिलिपि शाखा/09 दिनांक 22–1–09 संलग्न है जिसमें अंकित है कि ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 43 पर आदेश दिनॉक 30–6–2006 से किये गये नामान्तरण की पंजी रिकार्ड

रूम में नहीं है क्योंकि यह पंजी रिकार्ड में जमा नहीं हुई है। जहां तक नामान्तरण पॅजी पर किये गये रघुवीरशरण शर्मा एंव गोपाल पुत्र कमलेश शर्मा के बीच भूमि सर्वे कमांक 686 रकबा 1–254 हैक्टर के बटवारा किये जाने का प्रश्न है ? विभाजन के लिये म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178 में इस प्रकार का प्रावधान है –

1. **धारा 178 (1) – यदि किसी खाते में जिस पर धारा 59 के अधीन कृषि के प्रयोजन के लिये निर्धारण किया गया हो, एक से अधिक भूमिस्वामी हों तो उनमें से कोई भी भूमिस्वामी उस खाते में के अपने अंश के विभाजन के लिये तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा।**
2. **म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) – धारा 178 विभाजन की कार्यवाही नामान्तरण पॅजीं पर नहीं की जा सकती। तहसीलदार के लिये आवेदन देना अनिवार्य है।**

अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनांक 13–11–2017 के पद 6 में की गई विवेचना एंव निकाले गये निष्कर्षो के अवलोकन से परिलक्षित कि अपर आयुक्त व्दारा वादग्रस्त भूमि के किये गये बटवारा एंव अनुविभागीय अधिकारी व्दारा म्याद अधिनियम के सम्बन्ध में निकाले गये निष्कर्ष सही नहीं पाये गये है जिसके कारण अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने आदेश दिनांक 13–11–2017 से अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुये भूमि को पूर्व स्थिति में राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने का उचित निर्णय लिया है । यदि पक्ष विशेष वादग्रस्त भूमि में मृतक रघुवीरशरण व्दारा छोड़ी की वादग्रस्त भूमि में स्वत्व चाहते है तव वह व्यवहार न्यायालय से स्वत्व का निराकरण कराने हेतु वह स्वतंत्र है जिसके कारण अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्र0क0 599/ 2012–13 अपील में पारित आदेश दि. 13 नवम्बर, 2017 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 599/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 13 नवम्बर, 2017 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस०एस०अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर